

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा (झारखण्ड)

(जिला पंचायत शाखा)

Email id :- panchayatgoddha1@gmail.com

विज्ञापन संख्या-01 / 2021

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-395 / पं० दिनांक-19.02.2021 के आलोक में ग्राम पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं इससे संबंधित ऑनलाईन कार्यों के संपादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सेवा अनुबंध के आधार पर कनीय अभियंता तथा लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु जिलास्तरीय पैनल में चयन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आरक्षण कोटिवार पदों की संख्या एवं मासिक मानदेय का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रो	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षेत्रिज आरक्षण संबंधी विवरणी	मासिक मानदेय
			SC	ST	BC-I	BC-II	UR		
1	कनीय अभियंता	18	2	4	2	1	9		17000/-
2	लेखा लिपिक-सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर	40	3	10	4	3	20	राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त नियमावलियों के अनुरूप आदिम जनजाति, महिला, खेल कूद व दिव्यांग हेतु क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य होगा।	10000/-

आरक्षण नीति :— उक्त दोनों पदों पर सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारिणी :-

क्रमांक	आवश्यक कार्रवाई	समयावधि
1	आवेदन प्राप्त करने की अवधि	17 मार्च 2021 से 27 मार्च 2021 तक
2	प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक जाँच	30 मार्च 2021 तक
3	प्रारंभिक मेधा सूची का औपबंधिक प्रकाशन	05 अप्रैल 2021 तक
4	प्रारंभिक मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की अवधि	06 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक
5	लिखित/दक्षता परीक्षा हेतु मेधा सूची का प्रकाशन	16 अप्रैल 2021
6	लिखित/दक्षता परीक्षा का आयोजन	20 अप्रैल 2021
7	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	27 अप्रैल 2021
8	चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच	30 अप्रैल 2021
9	जिला स्तरीय पैनल का प्रकाशन	05 मई 2021

1. पद का नाम :— कनीय अभियंता

क— शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनमत अंक 50 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता: संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

ख— उम्र सीमा :

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

ग— मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :—

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14th. FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

2. पद का नाम :— लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर :

क— शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव— संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

ख— उम्र सीमा :

लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

ग— मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :—

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14th. FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

3. मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

I. कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य, वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा जो आरक्षणवार रिक्तियों का तीन गुणा होगा।

II. प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान/कम्प्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

III. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम का पैनल तैयार किया जाएगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए रहेगा। एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति को इसी पैनल से भरा जाएगा।

IV. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

4. आवेदन पत्र समर्पित करने की प्रक्रिया :

(a) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जाएँगे जिसे जिले के वेबसाइट www.godda.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। तथा वांछित सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्राप्ति एवं शुल्क का बैंक ड्राफ्ट के साथ निश्चित रूप से आवेदित पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में लिखना आवश्यक होगा।

(b) आवेदन पत्र के साथ एवं स्वपता (पत्राचार पता) लिखा लिफाफे निबंधित डाक हेतु निर्धारित टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(c) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

(d) आवेदन पत्र कार्यालय के ई-मेल panchayatgodda1@gmail.com पर भी समर्पित किया जा सकता है। परंतु इसकी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोड्डा, पोस्ट+जिला-गोड्डा, पिन कोड-814133 के पदनाम से भेजना अनिवार्य होगा, तथा आवेदन पत्र जिला पंचायत राज कार्यालय, गोड्डा में दिनांक-27.03.2021(अंतिम तिथि) को 5:00 बजे अपराह्न तक समर्पित किया जा सकेगा।

(e) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :—

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/-	सामान्य
		300/-	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-	सामान्य
		300/-	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

(f) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोड्डा के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट की संख्या, राशि, तिथि तथा निर्गत बैंक का नाम अनिवार्य रूप से लिखेंगे। इसी प्रकार बैंक ड्राफ्ट की पीठ पर बायी तरफ अपना नाम संक्षिप्त पता एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

(g) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक—27.03.2021 के अपराह्न 5:00 बजे तक है। अधूरा भरा आवेदन या शुल्क रहित आवेदन पत्र/वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रामाणित प्रति संलग्न नहीं रहने तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑनलाईन निर्गत होना चाहिए।

(h) निर्धारित अवधि मे मेधा सूची पर किसी प्रकार की आपत्ति लिखित रूप मे जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय, गोड्डा मे दर्ज किया जा सकेगा।

5. चयन प्रक्रियाओं के संबंध मे की जाने वाली कार्रवाई की सूचना समय—समय पर जिला के वेबसाइट www.godda.nic.in के माध्यम से दिया जाएगा।

6. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्ते निम्नवत् होगी :—

- i. चयन समिति केवल पैनल मे नाम हेतु अनुशंसा करेगी।
- ii. चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध मे उपायुक्त के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।
- iii. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णाकिंत किया जाएगा।
- iv. कर्णाकिंत अभ्यर्थियों मे से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी—सह—सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।
- v. सेवा अनुबंध प्रारम्भ मे एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक—एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति मे इसे आयोग की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।
- vi. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान मे रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति मे ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- vii. उपर्युक्त अवधि मे सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि मे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं मे संवेदक अथवा किसी अन्य रूप मे कार्य करने अथवा निविदा मे भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।
- viii. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलक्षि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलक्षि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

- ix. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशंसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाएगा।
- x. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखड़ विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।
- xi. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरुद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- xii. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

अनुलग्नक :— आवेदन पत्र का नमूना।

उपायुक्त,
गोड़डा।

आवेदन पत्र

1. विज्ञापन संख्या :—
2. आवेदित पद का नाम :—
3. आवेदक का नाम :—
(हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

स्व
अभिप्रमाणित
फोटो
रंगीन

4. पिता/पति का नाम :—
5. आरक्षण कोटि :—
(सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीयता, जाति, आय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाय)
6. जन्म तिथि :—
7. पत्राचार का पूर्ण पता :—
8. स्थायी पता :—
9. राष्ट्रीयता :—
10. मोबाइल नं० :—
11. ई-मेल :—
12. शैक्षणिक योग्यता :—

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)

13. अनुभव एवं नियोजनों का विवरण यदि हो :—

पद का नाम	स्थायी / अस्थायी / सविदा / अन्य	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	नियोजक का नाम एवं पूरा पता
1				
2				
3				

(नियोजन अवधि में मानदेय भुगतान से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

14. उम्मीदवार का पहचान चिन्ह :—

15. आवेदन शुल्क भुगतान संबंधी विवरणी :— बैंक ड्राफ्ट सं० एवं तिथि बैंक का नाम राशि

16. आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :—

1—

2—

3—

4—

5—

6—

7—

8—

17. मैं घोषित करता / करती हूँ कि :—

- (क) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- (ख) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान एवं दिनांक :—

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

नोट :— आवेदन पत्र ए 4 साईज पेपर में मुद्रित होना चाहिए।